उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001
टेलीफैक्स : (0135) 2532619

ई–प्रोक्योरमेन्ट नोटिस

रूट न0–एक – चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी–1, टिहरी–1, उत्तरकाशी जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को तरल नत्रजन, सीमेन एवं अन्य इनपुटस आदि के वितरण के लिए अनुबन्ध पर वाहन लगाने सम्बन्धी निविदा का आमंत्रण

निविदा प्रपत्र कमांक	:	615 / यू0एल0डी0बी0 / स्टोर / तरल नत्रजन परिवहन / 1(243) / 2018–19 दिनांक 18 मई, 2018
निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	:	₹ 236.00 (जीएसटी सहित)
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **https://uktenders.gov.in** पर निविदा जारी होने की तिथि	:	19 मई, 2018
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं निविदा जमा करने की विधि		निविदा प्रपत्र ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://uktenders.gov.in पर आन लाईन दिनांक 19.05.2018 से उपलब्ध होंगे। निविदादाता का वेबसाईट पर रजिस्टर होना अनिवार्य होगा, जिसकी सेवा निःशुल्क उपलब्ध है। निविदा को आनलाईन जमा करने के लिए निविदादाता के पास Digital Signature Certificate (DSC) होना आवश्यक है। DSC किसी भी सरकार द्वारा अधिकृत संस्था से प्राप्त की जा सकती है, जिसके विषय में जानकारी http://uktenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं यथा निविदा में सुधार, निविदा का निरस्तीकरण इत्यादि http://uktenders.gov.in से आन लाईन प्राप्त की जा सकती है। निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. पशुधन भवन, द्वितीय तल, मोथरोवाला, देहरादून में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय (दिनांक 01 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे) से पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट / कुरियर / स्वयं जमा कराना अनिवार्य होगा। यू.एल.डी.बी. द्वारा ई– प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर प्राप्त निविदाओं में से उन्हीं निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होंगे। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त अभिलेखों को स्केन करके ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा में कोट की गई दरें बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) में भर कर ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी वांछित अभिलेख आफ लाईन स्वीकार नहीं होंगे।
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	01 जून, 2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे
ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	:	01 जून, 2018 पूर्वाह्न 11.30 बजे
निविदा खुलने का स्थान		उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड पशुधन भवन, द्वितीय तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

पशुधन भवन, प्रथम तल, मोथरोवाला, देहरादून –248001

टेलीफैक्स : (0135) 2532619

महोदय,

1. आप **रूट न0–एक** – चमोली, रूद्रप्रयाग, पौडी, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों के समस्त कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों आदि में तरल नत्रजन, सीमेन एवं अन्य इनपुटस आदि के वितरण के लिये वाहन (कैन्टर/आईशर अथवा समकक्ष वाहन) जिसका बाडी साईज न्यूनतम 12.5'x7' हो की व्यवस्था के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in पर जमा करने के लिये आमंत्रित किये जाते है।
2. रूट नं0 एक से सम्बन्धित बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) भरा जाए। **बिल आफ क्वान्टिटी में कॉलम नं0 7 में प्रति लीटर डीजल पर कितने किमी0 वाहन चलेगा ये अंकित किया जाय। कॉलम नं0 8 में प्रति दिन का किराया भरा जाय। बिल आफ क्वान्टिटी में गणना 25 दिन के वाहन किराया एवं प्रतिदिन 100 किमी0 के आधार पर 25 दिन के वाहन चालन के आधार पर किया जायेगा तथा डीजल की गणना ₹65.00 प्रतिलीटर की दर से की गयी है।**
3. प्रस्तुत निविदा के साथ धरोहर राशि ₹10000.00 (₹ दस हजार मात्र) का किसी भी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय/बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. की वैधता निविदाओं की वैधता अवधि से 45 दिन अधिक होनी आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल https://uktenders.gov.in पर प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
4. निविदाओं की वैद्यता अवधि 45 दिनों की होनी आवश्यक है।
5. निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य ₹236.00 वेट सहित होगा (जो किसी भी दशा में वापस नही होगा)।
6. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा कोट की गयी दरें सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए वैध होगी तथा अनुबन्ध अवधि के दौरान दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिमार्जन अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा।
8. बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) में अंकित दर, केवल भारतीय रूपये में होनी चाहिए।
9. अन्य नियम एवं शर्ते, संलग्नक – 1 पर दी गई है।
10. **निविदाओं का मूल्यांकनः** रूट नं0 एक के लिये न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को कार्यादेश हेतु स्वीकृत किया जायेगा।
11. **कार्यादेश :** रूट नं0 एक के लिये प्राप्त न्यूनतम दर कोट करने वाले सम्बन्धित निविदादाता को यू0एल0डी0बी0 के साथ ₹100.00 के नांन जूडिशियल 'स्टाम्प पेपर' पर द्विपक्षीय अनुबन्ध एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि के रूप में प्रत्येक रूट के लिए ₹50000.00 (₹ पचास हजार मात्र) का किसी भी राष्ट्रीय कृत/सहकारी बैंक का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय/बंधक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जाती है तो उसकी वैधता अनुबन्ध की अवधि से 60 दिन अधिक होनी आवश्यक है। इससे सम्बन्धित आदेश की प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जमा न करने पर स्वीकृत निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी और इस स्थिति में सम्बन्धित निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
12. यू0एल0डी0बी0 निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व उसी निविदादाता को कार्यादेश प्रेषित करेगा, जिसकी निविदा समस्त शर्तो एवं नियमों को पूर्ण करती है एवं जिसके द्वारा न्यूनतम दर दी गयी हो।
13. बिलों का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त मासिक आधार पर किया जाएगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

अनुलग्नक : 1. निविदा की शर्तें एवं नियम
2. घोषणा

निविदा की शर्तें

यू.एल.डी.बी. द्वारा ई– प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर प्राप्त निविदाओं में से उन्हीं निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त होंगे।

निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि स्केन करके ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा में कोट की गई दरें बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) में भर कर ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है।

निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी वांछित अभिलेख आफ लाईन स्वीकार नहीं होंगे।

1. निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट/ कुरियर/ स्वयं यू.एल.डी.बी. कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। यू.एल.डी.बी. द्वारा ई– प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर प्राप्त निविदाओं में से उन्हीं निविदाओं को खोला जायेगा, जिनके निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य, धरोहर धनराशि एवं ₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र यू.एल.डी.बी. कार्यालय को निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व प्राप्त होंगे।
2. दरें ई– प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर तत्सम्बन्धी बिल आफ क्वान्टिटी (BOQ) में भरी जायेंगी।
3. किसी भी दशा में निविदा प्रपत्र क्रय मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
4. तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स आपूर्ति/परिवहन वाहन प्रतिदिन लगभग 75–100 किलोमीटर दूरी तय करेगा।
5. वाहन द्वारा भेजी जाने वाली समस्त सामग्री को गन्तव्य तक पहुंचाने एवं शेष सामग्री/वारदाना/कन्टेनर आदि को सुरक्षित रखने/परिवहन कराने/वापसी की जिम्मेदारी वाहन स्वामी/निविदादाता की होगी।
6. कोट किये गये सम्बन्धित रूट के लिए निर्धारित वाहन का निविदादाता के नाम से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है अथवा निविदादाता के पास उक्त वाहन को संचालित करने का मुख्तारनामा (Power of Attorney) होना अनिवार्य है।
7. वाहन के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रपत्रों तथा मुख्तारनामा (Power of Attorney) सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि स्केन करके ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है।
8. निविदा में चयनित वाहनों के वाहन स्वामी/निविदादाता के द्वारा यू.एल.डी.बी. की आवश्यकताओं एवं निर्देशों के अनुसार वाहन की बॉडी एवं चैसिस में परिवर्तन करवाना अनिवार्य होगा।
9. कोई भी वाहन, जिसका मॉडल 2012 से पहले का हो मान्य नहीं होगा। वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि स्केन करके ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर आन लाईन जमा करना अनिवार्य है।
10. निविदा में चयनित वाहनों में यू.एल.डी.बी. की सामग्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री का ढुलान वर्जित होगा।
11. निविदा में चयनित वाहनों का संचालन यू.एल.डी.बी. द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स के वितरण हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।
12. किसी निश्चित रूट पर चलते हुए उस रूट हेतु निर्दिष्ट सभी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर प्रतिमाह जाना अनिवार्य होगा। यदि मार्ग पर निर्धारित किसी भी केन्द्र पर तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित निविदादाता/वाहन स्वामी जिम्मेदार होगा और ऐसी स्थिति में प्रति केन्द्र ₹500 की दर से धनराशि की कटौती सम्बन्धित निविदादाता/वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत परिवहन बिल से कर ली जाएगी।
13. वाहनों के प्रयोग हेतु मोबिल आयल, वाहन का समुचित रखरखाव एवं क्लीनर, ड्राइवर इत्यादि की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित निविदादाता/वाहन स्वामी की होगी। इसके लिए अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।
14. सफल निविदादाता को यू0एल0डी0बी0 के साथ एक द्विपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। यह अनुबन्ध, ₹100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा। यह स्टाम्प पेपर सम्बन्धित निविदादाता/वाहन स्वामी द्वारा क्रय किया जाएगा।

15. सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security), जो कि प्रत्येक रूट के लिए ₹50000.00 (₹ पचास हजार मात्र) होगी, को अनुबन्ध पत्र के साथ जमा करना होगा। कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार्य होगी, जो यू0एल0डी0बी0 के नाम देहरादून में देय/धरोहर (Pledge) रहेगी।
16. कार्यपूर्ति प्रतिभूति निविदा से संबंधित सभी दायित्वों की पूर्ति, जिनमें वारन्टी सम्बन्धी दायित्व भी सम्मिलित हैं, की अवधि पूरी होने से कम से कम 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है।
17. परिवहन बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त मासिक आधार पर किया जाएगा।
18. वाहन का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुबन्ध की अवधि को दोनों पक्षों की स्वीकृति होने पर पूर्व स्वीकृत दरों पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
19. यदि अनुबन्ध की अवधि में किसी भी दिन अनुबन्धित वाहन खराब होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो निविदादाता/वाहन स्वामी उसके स्थान पर किसी अन्य वाहन की व्यवस्था करके निश्चित समय एवं स्थान पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
20. यदि किन्ही कारणों से वाहन स्वामी का वाहन अपने सुनिश्चित कार्य पर जाने में असमर्थ होता है, तो वाहन स्वामी द्वारा इसकी सूचना यू0एल0डी0बी0 को निर्धारित समय से 24 घण्टे पूर्व देना आवश्यक होगा और वाहन स्वामी द्वारा उसके स्थान पर किसी अन्य वाहन की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी।
21. यदि वाहन स्वामी के द्वारा उपरोक्त बिन्दु संख्या–19 एवं 20 के अनुसार वाहन की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो कार्यहित में यू0एल0डी0बी0 द्वारा वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी एवं ऐसी स्थिति में यू0एल0डी0बी0 को निर्धारित दरों से अधिक व्यय करना पड़ता है, तो अधिकता से व्यय की गयी धनराशि को सम्बन्धित ट्रान्सपोर्टर के परिवहन बिलों से समायोजित कर लिया जायेगा।
22. यदि वाहन तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स की आपूर्ति करते समय रास्ते में कहीं खराब हो जाता है, तो उस दिन का कोई किराया वाहन स्वामी को देय नहीं होगा, वरन् उस दिन सिर्फ चले हुए किलोमीटर के हिसाब से डीजल व्यय देय होगा।
23. अनुबन्धित वाहन को वर्ष भर समस्त प्रकार के पर्वतीय मार्गों पर चलना होगा।
24. यदि वाहन स्वामी अनुबन्ध नियमों के अनुसार वाहन का परिचालन सुनिश्चित करने में असमर्थ पाया जाता है, तो उस वाहन का अनुबन्ध निरस्त करते हुए उक्त वाहन की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
25. वाहन स्वामी/वाहन चालक/परिचालक का कार्य एवं व्यवहार सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ सौहाद्रपूर्ण तथा विनम्र होना चाहिए।
26. वाहन स्वामी/वाहन चालक/परिचालक द्वारा संस्था विरोधी एवं संस्था के अहित में कार्य अथवा व्यवहार करने की दशा में अनुबन्ध निरस्त करते हुए उक्त वाहन की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि यू0एल0डी0बी0 द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
27. वाहन स्वामी यदि अनुबन्ध की अवधि में अथवा अनुबन्ध समय समाप्त होने पर वाहन का परिचालन नहीं करना चाहता, तो उसे इसकी सूचना यू0एल0डी0बी0 कार्यालय में कम से कम 1 माह पूर्व देनी होगी।
28. वाहन चालक यात्रा की लाग बुक वाहन के साथ रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन गाड़ी चलने का समय (आने तथा जाने का) किलोमीटर रीडिंग, कुल चली गयी दूरी, भ्रमण किये गये स्थान आदि को अंकित करेंगे, जो यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी। परिवहन बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय लाग बुक भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. वाहन का परमिट सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य (पर्वतीय मार्गों सहित) एवं उत्तर प्रदेश के वे स्थान जहां पर वाहन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलते हुए उत्तराखण्ड की सीमा में प्रवेश/निकास करते हैं, का होना आवश्यक होगा।
30. यदि किसी दिन यू0एल0डी0बी0 के कारण वाहन खडा रहता है, तो उस दिन भाडे की केवल 50 प्रतिशत धनराशि ही वाहन स्वामी को देय होगी, परन्तु यू0एल0डी0बी0 द्वारा माह में कम से कम 25 दिनों का कार्य वाहन को दिया जायेगा। मरम्मत अथवा अन्य कारणों से वाहन के खडे रहने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा कोई भी किराया देय नही होगा।
31. सफल निविदादाता वाहन स्वामी को वाहन चालक के अतिरिक्त वाहन में एक परिचालक, जिसे लिखने–पढ़ने का ज्ञान हो, रखना अनिवार्य होगा।
32. यू0एल0डी0बी0 द्वारा वाहन स्वामी को स्थानीय चूंगी/टोल टैक्स यदि कोई देय हो, तो उसकी मूल रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

33. वाहन के इन्श्योरेन्स के साथ–साथ चालक, परिचालक तथा यू0एल0डी0बी0 के एक इनपुट वितरणकर्ता का ₹2.00 लाख का बीमा कराना अनिवार्य होगा।
34. निविदादाता वाहन स्वामी को वाहन में चालक, परिचालक के अलावा यू0एल0डी0बी0 के एक इनपुट वितरणकर्ता के बैठने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
35. यदि किसी दशा में वाहन चालक द्वारा व्यापार कर चौकी पर बहती जारी कराई जानी है तो उसे निरस्त करने की पूरी जिम्मेदारी भी वाहन चालक की होगी ऐसा न करने पर व्यापार कर सम्बन्धी किसी भी नोटिस/अर्थदण्ड अथवा विवाद/वाद आदि के लिए वाहन स्वामी स्वंय जिम्मेदार होगा।
36. वाहन स्वामी को बोर्ड से अनुबन्ध करने के पश्चात अपने वाहन के दोनो साईडों एवं सामने और पीछे यू0एल0डी0बी0 का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम पेन्ट द्वारा अंकित कराना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 15 मीटर की दूरी से पढ़ा जा सके।
37. आवश्यकता पड़ने पर वाहन को एक मण्डल/रूट से दूसरे मण्डल/रूट में भी कार्यहित में भेजा जा सकता है।
38. तरल नत्रजन, अतिहिमीकृत वीर्य एवं अन्य इनपुट्स वितरण के समय वाहन चालक आवश्यक रूप से व्यापार कर चौकी पर समस्त प्रपत्र उचित रूप से चेक/पास करायेगा। ऐसा न करने पर किसी भी वाद के लिए वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा।
39. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड का निर्णय सर्व मान्य होगा।
40. अनुबन्ध की व्याख्या भारतीय कानूनों के अधीन की जायेगी एवं वाद निस्तारण का कार्यक्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।
41. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0, देहरादून के पास बिना कोई कारण बताये, निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

घोषणा पत्र

(₹100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

1 मैं ....यू0एल0डी0बी0, देहरादून द्वारा निर्धारित संलग्नक –1 में दी गई निविदा की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों को स्वीकार करता हूँ। उपरोक्त किसी भी नियम के उल्लंघन होने पर यू0एल0डी0बी0 द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

2 मैं .... पुत्र .... निवासी .... घोषणा करता हूँ, कि मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मंजूर हैं। मैं यू0एल0डी0बी0, देहरादून के अन्तर्गत वाहनों को चलाने के लिए एक वर्ष का अनुबन्ध करने के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता का नामः

निविदादाता का पूरा पताः

दिनांक :

पेन नं0 (PAN):
छायाप्रति संलग्न

GST No.:

छायाप्रति संलग्न

Aadhar No.:
छायाप्रति संलग्न

विवरण

नाम ....
पिता का नाम ....

पता ....

स्थायी पता ....

गाड़ियों के नाम (सत्यापित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर डाउनलोड की गई है):–

01 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

02 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

03 .... रजिस्ट्रेशन नं0 ....

संलग्नक– धरोहर राशि ₹ .... शब्दों में .... का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ.डी.आर. नं0 ....

हस्ताक्षर निविदादाता